दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No. 131/2023	नम्बर व तारीख जो हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी थानाराम पुत्र चुन्नीलाल जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महालक्ष्मी किराणा स्टोर, मेन रोड, माण्डवा, तहसील व जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी शंकरलाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्रीनाथ ट्रेडिंग, मेन बाजार, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला– पाली अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.2.2023 को फर्म महालक्ष्मी किराणा स्टोर, मेन रोड, माण्डवाडा, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी थानाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चाय (सास बहू ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2028 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./368/Act/2023/396 दिनांक 09.3.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 20.12.2023 को प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण को सुना गया, जिन्होनें यह अनुरोध किया कि यह उनकी प्रथम गलती है और भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का निर्माण, पैकिंग व विक्रय नही करेंगे। अतः निर्माता फर्म श्रीनाथ ट्रेडिंग पर जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 30.10.2023 को प्रतिवादी थानाराम पुत्र चुन्नीलाल जी की फर्म महालक्ष्मी किराणा स्टोर, मैन रोड, माण्डवा, तहसील व जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी थानाराम से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चाय (सास बहू ब्राण्ड) के 50 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 250 ग्राम) में से [illegible] पदार्थ चाय (सास बहू ब्राण्ड) के 8 पैकेट [illegible] सुरक्षा एवं मानक ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No. 131/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर खरीदशुदा चाय (सास बहू ब्राण्ड) के 8 पैक्ड पैकेटों के चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ चाय (सास बहू) के S-2028 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./368/Act/2023/396 दिनांक 09.3.2023 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी थानाराम द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (सास बहू ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटों को फर्म श्रीनाथ ट्रेडिंग, मैन बाजार, भैरुचौक, सुमेरपुर, जिला– सिरोही से क्रय किया गया, जो खाद्य पदार्थ चाय (सास बहू ब्राण्ड) की निर्माता फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी शंकरलाल की प्रोपराईटरी फर्म श्रीनाथ ट्रेडिंग, मैन बाजार, भैरुचौक, सुमेरपुर द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (सास बहू ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु मुख्यरुप से दोषी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है, एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी शंकरलाल अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी थानाराम को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चाय (सास बहू ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी शंकरलाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्रीनाथ ट्रेडिग, मैन मार्कैट, भैरुचौक, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को यह हिदायत दी जाती है कि भविष्य में मिथ्याछाप व अमानक खाद्य पदार्थो का विक्रय नही करे। प्रतिवादी शंकरलाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्रीनाथ ट्रेडिंग, मैन माकैट, भैरुचौक, सुमेरपुर, जिला– पाली को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य [illegible] अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल [illegible] आयन्दा दिनांक 31.1..2024 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:10 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001